

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग  
महानदी भवन  
मंत्रालय-नया रायपुर

क्रमांक 103 / वित्त / ब-4 / चार / 2014,  
प्रति,


रायपुर, दिनांक 22.04.2014

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
मंत्रालय, नया रायपुर ।

विषय:- राज्य वित्त लेखे 2013-14 हेतु जानकारी ।

महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक रिपोर्ट(वित्त)/एफ-83(42)/2013-14/डी-260 दिनांक 11.04.2014 संलग्नकों सहित प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया राज्य वित्त लेखे वर्ष 2013-14 की जानकारी पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुरूप एवं निर्धारित प्रपत्र में सीधे महालेखाकार कार्यालय को भेजे जाने एवं वित्त विभाग को सूचित किए जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ।


संलग्न:-उपरोक्तानुसार

  
(शहला निगार)  
विशेष सचिव  
वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 104 / वित्त / ब-4 / चार / 2014,  
प्रतिलिपि-

रायपुर, दिनांक 22.04.2014

महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक रिपोर्ट(वित्त)/एफ-83(42)/2013-14/डी-260 दिनांक 11.04.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
वित्त विभाग




भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग  
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर  
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL,  
(ACCOUNTS & ENTITLEMENT) CHHATTISGARH, RAIPUR

प्रति,

दि.  
२१

दिनांक :  
Date : 11/04/2014

अतिरिक्त मुख्य सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन,  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन,  
नया रायपुर-492002



विषय : राज्य वित्त लेखे 2013-14 हेतु जानकारी बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ राज्य वित्त लेखे 2013-14 को तैयार किए जाने का कार्य आरंभ किया गया है। भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित जानकारी संबंधित विभागों से प्राप्त कर राज्य वित्त लेखे में सम्मिलित की जाती है।

- 1) राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि/कमी की जानकारी। (प्रपत्र-I)
  - 2) राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में वृद्धि/कमी की जानकारी। (प्रपत्र-II)
  - 3) पदार्थ/वस्तु के रूप में दिये गये सहायता अनुदान की जानकारी। (प्रपत्र-III)
  - 4) राज्य शासन के प्रतिबद्धित दायित्वों की जानकारी। (प्रपत्र-IV)
  - 5) ऑफ बजट दायित्वों की जानकारी। (प्रपत्र-V)
  - 6) शासकीय लेखे से बाह्य परिचलित राशियाँ। (प्रपत्र-VI)
  - 7) कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व की बकाया राशियाँ। (प्रपत्र-VII)
  - 8) 31 मार्च 2014 की स्थिति में भुगतान हेतु लम्बित देयको की जानकारी। (प्रपत्र-VIII)
  - 9) पंचायती राज संस्थाओं को बकाया अनुदान की राशि। (प्रपत्र-IX)
  - 10) दिनांक 31 मार्च 2014 की स्थिति में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के पदनाम से खोले गये बैंक खातों में जमा राशियाँ। (प्रपत्र-X)
- वर्ष 2013-14 के वित्त लेखे में निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी सम्मिलित किया जाना है :-
- 11) पूंजीगत संपत्ति निर्माण करने हेतु दी गई सहायता अनुदान (Grant-in-Aid for creation of Capital Assets) (प्रपत्र-XI)
  - 12) राज्य शासन के स्वीकृत पद तथा इनके विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों की संख्या। (प्रपत्र-XII)

आवक कमांक... पूंजीगत  
सं.सं./रिपो  
17/4/14  
2014

Handwritten signature and date: 17/4

Handwritten signature and date: JS(K) APR 2014

Handwritten signature and date: JS (on leave) JS(N) / SO (Est.)

Handwritten signature and date: निरन्तर...2 T.L. 52/17/14

उपरोक्त जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु समस्त विभाग प्रमुख एवं बजट नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध है। जानकारी तैयार किये जाने हेतु प्रपत्र क्रमांक I से XII तथा प्रपत्र क्रमांक IV एवं प्रपत्र V से X की जानकारी पूर्ण करने हेतु मार्गदर्शिकाएं संलग्न कर निवेदन है कि समस्त प्रपत्रों की जानकारी इस कार्यालय को दिनांक 10.05.2014 तक अनिवार्यतः व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें ताकि राज्य वित्त लेखे 2013-14 में विभाग द्वारा प्रेषित जानकारी सम्मिलित किया जा सके।


उपरोक्त जानकारी तैयार करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई/असमंजस होने की स्थिति में संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी अथवा बजट शाखा प्रभारी द्वारा इस कार्यालय के श्री एच.आर. श्रीनिवास, सहायक लेखा अधिकारी मो. 99775-38159 एवं श्री एस.ए अल्वी, सहायक लेखा अधिकारी, मो. 99937-39820 से संपर्क किया जा सकता है।

पूर्व के वर्षों में यह अनुभव किया गया है कि कतिपय विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा उपरोक्त जानकारी सीधे इस कार्यालय को प्रेषित किये जाते हैं जो कि प्रक्रिया विरुद्ध है। इस स्थिति में विभाग की समेकित जानकारी राज्य वित्त लेखे में परिलक्षित नहीं होती है। अतः आपसे अनुरोध है कि आपके विभाग के अधीनस्थ बजट नियंत्रण अधिकारियों को विभाग से संबंधित समेकित जानकारी ही इस कार्यालय को प्रेषित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

नोट :- संलग्न प्रपत्रों में से जो भी प्रपत्र आपके विभाग से संबंधित नहीं हो उसे "निरंक जानकारी-विभाग से संबंधित नहीं" लिख कर प्रेषित करें।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीय,

  
11/4/14

उपमहालेखाकार (लेखा)

संलग्न-उक्तानुसार 12 प्रपत्र एवं मार्गदर्शिकाएं



वर्ष 2013-14 के बजट बुक से

प्रपत्र-II

विभाग - वित्त विभाग

बजट नियंत्रण अधिकारी	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2012-13 का राजस्व व्यय	वर्ष 2013-14 का राजस्व व्यय	वृद्धि / कमी की राशि	वृद्धि / कमी के समुचित कारण
सचिव, छ.ग. वित्त विभाग	2048	4856	संचित शोधन निधि के लिए अंतरण				
	2049	2199	नया बाजार ऋण				
		5426	7.80 प्रतिशत छ.ग. राज्य विकास ऋण 2012				
		5436	7.80 प्रतिशत छ.ग. राज्य विकास ऋण 2012				
		5539	6.35 प्रतिशत छ.ग. राज्य विकास ऋण 2013				
		5540	6.20 प्रतिशत छ.ग. राज्य विकास ऋण 2013				
		5541	6.20 प्रतिशत छ.ग. राज्य विकास ऋण 2015				
		5542	5.85 प्रतिशत छ.ग. राज्य विकास ऋण 2015				
		5621	5.90 प्रतिशत छ.ग. राज्य विकास ऋण 2017				

प्रपत्र-II

विभाग - वित्त विभाग

बजट नियंत्रण अधिकारी	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2012-13 का राजस्व व्यय	वर्ष 2013-14 का राजस्व व्यय	वृद्धि / कमी की राशि	वृद्धि / कमी के समुचित कारण
		5622	5.60 प्रतिशत छ. ग. राज्य विकास ऋण 2014				
		5623	5.70 प्रतिशत छ. ग. राज्य विकास ऋण 2014				
		5644	7.32 प्रतिशत छ. ग. राज्य विकास ऋण 2014				
		5668	6.95 प्रतिशत छ. ग. राज्य विकास ऋण 2013				
		5669	6.75 प्रतिशत छ. ग. राज्य विकास ऋण 2013				
		6962	पुराने बाजार ऋणों के ब्याज भुगतान हेतु				
		7343	8.25 प्रतिशत छ. ग. राज्य विकास ऋण 2019				
		4854	केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि पर ब्याज				
		3087	भारतीय जीवन बीमा निगम से लिए गये ऋणों पर ब्याज				

प्रपत्र-II

विभाग - वित्त विभाग

बजट नियंत्रण अधिकारी	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2012-13 का राजस्व व्यय	वर्ष 2013-14 का राजस्व व्यय	वृद्धि/कमी की राशि	वृद्धि / कमी के समुचित कारण
		3089	भा.रि. बैंक से अर्थोपाय पेशगियों और कैश बैलेन्स की कमी की पूर्ति हेतु लिये गये अग्रिमों पर ब्याज				
		3732	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की राष्ट्रीय कृषि निधि से लिये गए ऋणों पर ब्याज				
		3752	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिये गए ऋणों पर ब्याज				
		4486	सामान्य बीमा निगम से लिये गये ऋणों पर ब्याज				
		2205	नये ऋणों के प्रचालन संबंधी व्यय				
		2624	पुराने ऋणों का प्रबंध				
		5413	संचित शोधन निधि के प्रबंधन संबंधी व्यय				
		990	क्षतिपूर्ति और अन्य बाण्डस पर ब्याज				
		8925	छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण				

प्रपत्र-II							
विभाग - वित्त विभाग							
बजट नियंत्रण अधिकारी	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2012-13 का राजस्व व्यय	वर्ष 2013-14 का राजस्व व्यय	वृद्धि/कमी की राशि	वृद्धि/कमी के समुचित कारण
		8926	छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण				
		8927	छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण				
	2071	4010	विधायकों को पेंशन				
		5391	पेंशन निधि में अंतरण				

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त यदि अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्रावधान किया गया है तो तदनुसार जानकारी सम्मिलित किया जावे।

सचिव, राज्य वित्त आयोग	2049	5338	राज्य वित्त आयोग				
	2070	224	अन्य व्यय				
	2071	5391	पेंशन निधि में अंतरण				

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त यदि अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्रावधान किया गया है तो तदनुसार जानकारी सम्मिलित किया जावे।

संचालक, कोष एवं लेखा	2049	6802	परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना पर ब्याज				
		4192	शास. कर्मचारी समूह बीमा योजना (बीमा निधि पर ब्याज)				
		4198	शास. कर्मचारी समूह बीमा योजना (बचत निधि पर ब्याज)				
		4209	शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज				
	2054	3843	लेखा प्रशिक्षण शाला				



प्रपत्र-II

विभाग - वित्त विभाग

बजट नियंत्रण अधिकारी	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2012-13 का राजस्व व्यय	वर्ष 2013-14 का राजस्व व्यय	वृद्धि/कमी की राशि	वृद्धि / कमी के समुचित कारण
		5697	कोषालय कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र				
		2274	निर्देशन और प्रशासन				
		4307	सभागीय स्थापना				
		1026	खजाना स्थापना				
		7416	तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान				
		8904	आडिट सेल का गठन				
	2071	6801	राज्य शासन का अंशदान				
	2235	7000	पेंशन कल्याण कोष की राशि की प्रतिपूर्ति				
	2885	4843	अधोसंरचना विकास निगम				

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त यदि अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्रावधान किया गया है तो तदनुसार जानकारी सम्मिलित किया जावे।

संचालक, अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज्	2047	2696	प्रचार				
		9120	संचालन				

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त यदि अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्रावधान किया गया है तो तदनुसार जानकारी सम्मिलित किया जावे।

आयुक्त, संस्थागत वित्त	2052	4296	संचालनालय संस्थागत वित्त व्यवस्था				
------------------------	------	------	-----------------------------------	--	--	--	--

प्रपत्र-II							
विभाग - वित्त विभाग							
बजट नियंत्रण अधिकारी	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2012-13 का राजस्व व्यय	वर्ष 2013-14 का राजस्व व्यय	वृद्धि / कमी की राशि	वृद्धि / कमी के समुचित कारण
		6725	यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान				
		8671	लघु एवं सीमान्त कृषक ऋण माफी योजना				
	2435	5628	कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान				

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त यदि अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्रावधान किया गया है तो तदनुसार जानकारी सम्मिलित किया जावे।

संचालक, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली		4295	संचालनालय वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली				
--------------------------------------	--	------	--	--	--	--	--

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त यदि अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्रावधान किया गया है तो तदनुसार जानकारी सम्मिलित किया जावे।

संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा	2054	4361	स्थानीय निधि लेखा				
--------------------------------	------	------	-------------------	--	--	--	--

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त यदि अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्रावधान किया गया है तो तदनुसार जानकारी सम्मिलित किया जावे।

**प्रपत्र-III**

पदार्थ/वस्तुओं के रूप में प्रदत्त सहायता अनुदान की जानकारी

(वास्तविक राशि में)

ग्रंटी संस्थायें	लेखाशीर्ष (मुख्य शीर्ष से उप-विस्तृत शीर्ष तक) जिसमें वस्तुओं के रूप में प्रदत्त सहायता अनुदान की राशी दर्ज की गयी है	वर्ष 2013-14 में वस्तुओं के रूप में प्रदत्त सहायता अनुदान का कुल मूल्य
1. पंचायती राज संस्थायें		
(i) जिला पंचायत		
(ii) जनपद पंचायत		
(iii) ग्राम पंचायत		
2. शहरी स्थानीय निकाय		
(i) नगर निगम		
(ii) नगर पालिकाएं/नगर पालिका परिषद		
(iii) अन्य		
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम		
(i) शासकीय कम्पनियाँ		
(ii) सांविधिक निगम		
4. स्वशासी निकायें		
(i) विश्वविद्यालय		
(ii) विकास प्राधिकारण		
(iii) सहकारी संस्थाएं		
(iv) अन्य		
5. अशासकीय संस्थाएं		
योग		

बजट नियंत्रण अधिकारी का हस्ताक्षर एवं  
नाम  
कार्यालय का पता  
दूरभाष क्रमांक  
मोबाईल क्रमांक  
फैक्स न.

टीप :- वस्तुओं के रूप में प्रदत्त सहायता अनुदान के अन्तर्गत निशुल्क सायकल प्रदाय योजना, निशुल्क पुस्तकें एवं गणवेश प्रदाय, लेप्टॉप/टेबलेट ईत्यादि से संबंधित व्यय की जानकारी देवे। इसके अतिरिक्त केन्द्र शासन से प्राप्त सामग्री/पदार्थ जैसे-दवाईयाँ इत्यादि जो विभाग द्वारा वितरित किया गया है को भी सम्मिलित किया जावे।

प्रपत्र-IV

Statement on Committed Liabilities of the State in future

(As on 31-03-2014)

(कृपया संलग्न मार्गदर्शिका का अवलोकन करें)

(figures in actual)

Sl. No.	Nature of Liability	Amount (₹ in Lakh)		Likely Sources from which proposed to be met			Likely year of the discharge	Liabilities discharge during the year	Balance remaining
		Plan	Non Plan	States Own Resources	Central Transfers	Raising Debt (Specify)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Accounts Payable(*)								
1.									
2.									
3.									
4.									
	Total								
II	State's Share in Centrally Sponsored Scheme								
1.									
2.									
3.									
4.									
	Total								
III	Liabilities in the form of transfer of Plan Schemes to Non-Plan heads								
1.									
2.									
3.									
4.									
	Total								
IV	Liabilities arising from Incomplete Projects								
1.									
2.									
3.									
4.									
	Total								
V	Others/Miscellaneous								
1.									
2.									
3.									
4.									
	Grand Total								

\* Accounts payable includes the committed liabilities in the form of non plan salary expenditure, pension, interest payments, accrued debt, bills pending for payments etc.

Signature and Name of Budget Controlling Officer  
Office Address  
Fax No.  
Mob. & Phone No.



वर्ष 2013-14 के बजट बुक से

प्रपत्र-II

विभाग - वित्त विभाग

बजट नियंत्रण अधिकारी	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2012-13 का राजस्व व्यय	वर्ष 2013-14 का राजस्व व्यय	वृद्धि / कमी की राशि	वृद्धि / कमी के समुचित कारण
सचिव, छ.ग. वित्त विभाग	2048	4856	संचित शोधन निधि के लिए अंतरण				
	2049	2199	नया बाजार ऋण				
		5426	7.80 प्रतिशत छ.ग. राज्य विकास ऋण 2012				
		5436	7.80 प्रतिशत छ.ग. राज्य विकास ऋण 2012				
		5539	6.35 प्रतिशत छ.ग. राज्य विकास ऋण 2013				
		5540	6.20 प्रतिशत छ.ग. राज्य विकास ऋण 2013				
		5541	6.20 प्रतिशत छ.ग. राज्य विकास ऋण 2015				
		5542	5.85 प्रतिशत छ.ग. राज्य विकास ऋण 2015				
		5621	5.90 प्रतिशत छ.ग. राज्य विकास ऋण 2017				

प्रपत्र-II

विभाग - वित्त विभाग

बजट नियंत्रण अधिकारी	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2012-13 का राजस्व व्यय	वर्ष 2013-14 का राजस्व व्यय	वृद्धि / कमी की राशि	वृद्धि / कमी के समुचित कारण
		5622	5.60 प्रतिशत छ. ग. राज्य विकास ऋण 2014				
		5623	5.70 प्रतिशत छ. ग. राज्य विकास ऋण 2014				
		5644	7.32 प्रतिशत छ. ग. राज्य विकास ऋण 2014				
		5668	6.95 प्रतिशत छ. ग. राज्य विकास ऋण 2013				
		5669	6.75 प्रतिशत छ. ग. राज्य विकास ऋण 2013				
		6962	पुराने बाजार ऋणों के ब्याज भुगतान हेतु				
		7343	8.25 प्रतिशत छ. ग. राज्य विकास ऋण 2019				
		4854	केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि पर ब्याज				
		3087	भारतीय जीवन बीमा निगम से लिए गये ऋणों पर ब्याज				

प्रपत्र-II

विभाग - वित्त विभाग

बजट नियंत्रण अधिकारी	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2012-13 का राजस्व व्यय	वर्ष 2013-14 का राजस्व व्यय	वृद्धि/कमी की राशि	वृद्धि /कमी के समुचित कारण
		3089	भा.रि. बैंक से अर्थोपाय पेशगियों और कैश बैलेन्स की कमी की पूर्ति हेतु लिये गये अग्रिमों पर ब्याज				
		3732	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की राष्ट्रीय कृषि निधि से लिये गए ऋणों पर ब्याज				
		3752	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिये गए ऋणों पर ब्याज				
		4486	सामान्य बीमा निगम से लिये गये ऋणों पर ब्याज				
		2205	नये ऋणों के प्रचालन संबंधी व्यय				
		2624	पुराने ऋणों का प्रबंध				
		5413	संचित शोधन निधि के प्रबंधन संबंधी व्यय				
		990	क्षतिपूर्ति और अन्य बाण्डस पर ब्याज				
		8925	छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण				



प्रपत्र-II							
विभाग - वित्त विभाग							
बजट नियंत्रण अधिकारी	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2012-13 का राजस्व व्यय	वर्ष 2013-14 का राजस्व व्यय	वृद्धि/कमी की राशि	वृद्धि/कमी के समुचित कारण
		8926	छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण				
		8927	छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण				
	2071	4010	विधायकों को पेंशन				
		5391	पेंशन निधि में अंतरण				

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त यदि अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्रावधान किया गया है तो तदनुसार जानकारी सम्मिलित किया जावे।

सचिव, राज्य वित्त आयोग	2049	5338	राज्य वित्त आयोग				
	2070	224	अन्य व्यय				
	2071	5391	पेंशन निधि में अंतरण				

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त यदि अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्रावधान किया गया है तो तदनुसार जानकारी सम्मिलित किया जावे।

संचालक, कोष एवं लेखा	2049	6802	परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना पर ब्याज				
		4192	शास. कर्मचारी समूह बीमा योजना (बीमा निधि पर ब्याज)				
		4198	शास. कर्मचारी समूह बीमा योजना (बचत निधि पर ब्याज)				
		4209	शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज				
	2054	3843	लेखा प्रशिक्षण शाला				

प्रपत्र-II							
विभाग - वित्त विभाग							
बजट नियंत्रण अधिकारी	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2012-13 का राजस्व व्यय	वर्ष 2013-14 का राजस्व व्यय	वृद्धि / कमी की राशि	वृद्धि / कमी के समुचित कारण
		5697	कोषालय कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र				
		2274	निर्देशन और प्रशासन				
		4307	संभागीय स्थापना				
		1026	खजाना स्थापना				
		7416	तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान				
		8904	आडिट सेल का गठन				
	2071	6801	राज्य शासन का अंशदान				
	2235	7000	पेंशन कल्याण कोष की राशि की प्रतिपूर्ति				
	2885	4843	अधोसंरचना विकास निगम				

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त यदि अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्रावधान किया गया है तो तदनुसार जानकारी सम्मिलित किया जावे।

संचालक, अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज	2047	2696	प्रचार				
		9120	संचालन				

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त यदि अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्रावधान किया गया है तो तदनुसार जानकारी सम्मिलित किया जावे।

आयुक्त, संस्थागत वित्त	2052	4296	संचालनालय संस्थागत वित्त व्यवस्था				
------------------------	------	------	-----------------------------------	--	--	--	--

प्रपत्र-II							
विभाग - वित्त विभाग							
बजट नियंत्रण अधिकारी	मुख्य शीर्ष	योजना कमाक	योजना का नाम	वर्ष 2012-13 का राजस्व व्यय	वर्ष 2013-14 का राजस्व व्यय	वृद्धि / कमी की राशि	वृद्धि / कमी के समुचित कारण
		6725	यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान				
		8671	लघु एवं सीमान्त कृषक ऋण माफी योजना				
	2435	5628	कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान				

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त यदि अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्रावधान किया गया है तो तदनुसार जानकारी सम्मिलित किया जावे।

संचालक, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली		4295	संचालनालय वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली				
--	--	------	--	--	--	--	--

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त यदि अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्रावधान किया गया है तो तदनुसार जानकारी सम्मिलित किया जावे।

संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा	2054	4361	स्थानीय निधि लेखा				
--------------------------------------	------	------	----------------------	--	--	--	--

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त यदि अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्रावधान किया गया है तो तदनुसार जानकारी सम्मिलित किया जावे।

**प्रपत्र-III**

पदार्थ/वस्तुओं के रूप में प्रदत्त सहायता अनुदान की जानकारी

(वास्तविक राशि में)

ग्रांटी संस्थायें	लेखाशीर्ष (मुख्य शीर्ष से उप-विस्तृत शीर्ष तक) जिसमें वस्तुओं के रूप में प्रदत्त सहायता अनुदान की राशी दर्ज की गयी है	वर्ष 2013-14 में वस्तुओं के रूप में प्रदत्त सहायता अनुदान का कुल मूल्य
1. पंचायती राज संस्थायें		
(i) जिला पंचायत		
(ii) जनपद पंचायत		
(iii) ग्राम पंचायत		
2. शहरी स्थानीय निकाय		
(i) नगर निगम		
(ii) नगर पालिकाएं/नगर पालिका परिषद		
(iii) अन्य		
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम		
(i) शासकीय कम्पनियों		
(ii) सांविधिक निगम		
4. स्वशासी निकायें		
(i) विश्वविद्यालय		
(ii) विकास प्राधिकारण		
(iii) सहकारी संस्थाएं		
(iv) अन्य		
5. अशासकीय संस्थाएं		
योग		

बजट नियंत्रण अधिकारी का हस्ताक्षर एवं  
नाम  
कार्यालय का पता  
दूरभाष क्रमांक  
मोबाईल क्रमांक  
फैक्स न.

टीप :- वस्तुओं के रूप में प्रदत्त सहायता अनुदान के अन्तर्गत निशुल्क सायकल प्रदाय योजना, निशुल्क पुस्तकें एवं गणवेश प्रदाय, लेटॉप/टेबलेट इत्यादि से संबंधित व्यय की जानकारी देवे। इसके अतिरिक्त केन्द्र शासन से प्राप्त सामग्री/पदार्थ जैसे-दवाईयों इत्यादि जो विभाग द्वारा वितरित किया गया है को भी सम्मिलित किया जावे।

प्रपत्र-IV

Statement on Committed Liabilities of the State in future

(As on 31-03-2014)

(कृपया संलग्न मार्गदर्शिका का अवलोकन करें)

(figures in actual)

Sl. No.	Nature of Liability	Amount (₹ in Lakh)		Likely Sources from which proposed to be met			Likely year of the discharge	Liabilities discharge during the year	Balance remaining
		Plan	Non Plan	States Own Resources	Central Transfers	Raising Debt (Specify)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Accounts Payable(*)								
1.									
2.									
3.									
4.									
	Total								
II	State's Share in Centrally Sponsored Scheme								
1.									
2.									
3.									
4.									
	Total								
III	Liabilities in the form of transfer of Plan Schemes to Non-Plan Heads								
1.									
2.									
3.									
4.									
	Total								
IV	Liabilities arising from Incomplete Projects								
1.									
2.									
3.									
4.									
	Total								
V	Others/Miscellaneous								
1.									
2.									
3.									
4.									
Grand Total									

\* Accounts payable includes the committed liabilities in the form of non plan salary expenditure, pension, interest payments, accrued debt, bills pending for payments etc.

Signature and Name of Budget Controlling Officer  
Office Address  
Fax No.  
Mob. & Phone No.

**तृतीया शृङ्खला - IV**

**Statement on Committed Liabilities of the State in future**  
(As on 31-03-2014)

Figures in actual

Sl. No.	Nature of the Liability	Amount			Likely Sources from which proposed to be met			Likely year of the discharge	Liabilities discharge during the year	Balance remaining (Total of 4 less 9)
		Plan	Non Plan		States Own Resources	Central Transfers	Raising Debt (Specify)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Accounts Payable									
	Salary									
	2013-14		1000							
	2014-15		2000							
	2015-16		3000							
	2016-17		4000				2014-2017	1000	9000	
	Interest Payment									
	2013-14		5000				2014-2017	5000	21000	
	2014-15		6000							
	2015-16		7000							
	2016-17		8000							
	Total									
	Bills pending for payment on 31-03-2014		5000				2014-2017	--	5000	
	Accrued Debt									
II	वित्त विभाग से संबंधित									
	State's Share in Centrally Sponsored Scheme									
1	Mention the name of the scheme in which the state share has not been released	100000	--				2014-2017	--	100000	
	Total									

Sl.No	Nature of the Liability	Amount		Likely Sources from which proposed to be met			Likely year of the discharge	Liabilities discharge during the year	Balance remaining (Total of 4 less 9)
		Plan	Non Plan	States Own Resources	Central Transfers	Raising Debt (Specify)			
III	<b>Liabilities in the form of transfer of Plan Schemes to Non-Plan Heads</b>								
	कृपया संलग्न मार्गदर्शिका के सरल क्रमांक iii में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार जानकारी दी जावे								
	Total								
IV	<b>Liabilities arising from Incomplete Projects</b>								
	कृपया संलग्न मार्गदर्शिका के सरल क्रमांक iv में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार जानकारी दी जावे								
	Total								
V	<b>Others/Miscellaneous</b>								
1.									
2.									
3.									
4.									
<b>Grand Total</b>									

(6)

प्रपत्र - V

Detail of Off Budget Liabilities as on 31-03-2014

दिनांक 31.03.2014 की स्थिति में ऑफ बजट दायित्वों की जानकारी

(कृपया संलग्न मार्गदर्शिका का अवलोकन करें)

(वास्तविक राशि में)

Nature of Off Budget Liabilities, if any ऑफ बजट दायित्वों की प्रकृति, यदि कोई हो	Amount of Liability as on 31-03-2014 दिनांक 31.03.2014 की स्थिति में दायित्वों की राशि	Year Wise Break up of amount राशि का वर्षवार विवरण	Remarks (if any) अभ्युक्ति (यदि कोई हो)

\*

Signature and Name of Budget Controlling Officer

Office Address

Fax No.

Mob. & Phone No.

7



प्रपत्र - VI

Details of Funds operated outside Government Accounts  
(कृपया सलान माग्दशिका का अवलोकन करे)

(Figures in actual)

Name of the Department	Name of the Regulatory authority/agency/bodies	Amount not credited to Government account as on 31-03-2014.

Signature and Name of Budget Controlling Officer  
Office Address  
Fax No.  
Mob. & Phone No.

8





प्रपत्र - VIII

**Liability on Account of Unpaid Bills as on 31-03-2014**

दिनांक 31.03.2014 को भुगतान हेतु लम्बित देयको की जानकारी  
(कृपया संलग्न मार्गदर्शिका का अवलोकन करें)

(वार्षिक राशि में)

Name of the Department	Amount of bill received up to 31-03-2014 but not paid	Reasons for non - payment	Major Head in which the amount of unpaid bill is to be debited during 2014-15	Remarks if any
	दिनांक 31.03.2014 तक प्राप्त लेकिन भुगतान नहीं किये गये देयको की राशि	भुगतान नहीं किये जाने के कारण	लम्बित देयको को वर्ष 2014-15 के दौरान डेबिट किये जाने वाले मुख्यशीर्ष की जानकारी	

३

Signature and Name of Budget Controlling Officer  
Office Address  
Fax No.  
Mob. & Phone No.

11

प्रपत्र - IX

Arrears of Grants to Panchayati Raj Institutions as on 31-03-2014  
दिनांक 31.03.2014 की स्थिति में पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान के बकाया की जानकारी  
(कृपया संलग्न मार्गदर्शिका का अवलोकन करें)

Name of Zilla Panchayat जिला पंचायत का नाम	Name of the Scheme योजना का नाम	Amount of Arrears of Grants payable to Zilla Panchayat upto 31-03-2014 दिनांक 31.03.2014 तक जिला पंचायत को देय अनुदान की बकाया राशि	Remarks (if any) अभ्युक्ति (यदि कोई हो)

(₹ वास्तविक राशि )

Signature and Name of Budget Controlling Officer  
Office Address  
Fax No.  
Mob. & Phone No.

12

प्रपत्र - X.  
31.03.2014 को बैंक खाते में जमा शासकीय राशि  
(कृपया संलग्न मार्गदर्शिका का अवलोकन करें)

( ₹ वास्तविक राशि )

31.03.2013 की स्थिति में बैंक खाते में जमा कुल शासकीय राशि	दिनांक 01.04.2013 से 20.03.2014 के दौरान वित्त निर्देश 41/2012 दिनांक 12.06.2012 के अनुपालन में जमा की गई राशि		दिनांक 20.03.2014 से 31.03.2014 के दौरान वित्त निर्देश 13/2014 दिनांक 20.03.2014 के अनुपालन में माह अप्रैल 2014 से जून 2014 में Committed Expenditure हेतु P.D. Accounts में जमा राशि एवं वापस शासकीय कोष में जमा राशि की जानकारी		31.03.2014 की स्थिति में बैंक खाते में जमा कुल शासकीय राशि एवं जमा राशि का प्रकार						
	राजस्व शीर्ष में जमा की गई राशि	8443-K-Deposit शीर्ष में जमा की गई राशि	P.D. Accounts में जमा राशि	शासकीय कोष में वापिस जमा राशि							
	मुख्यशीर्ष	राशि	राशि	राजस्व मुख्यशीर्ष	राज्य योजना की राशि	केन्द्रीय योजना की राशि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर 8443 से विभागा द्वारा आहरित राशि	(6) 8443 में 31.03.2014 को बकाया राशि	(7) राज्य योजना की राशि	(8) केन्द्रीय योजना की राशि	(9) राज्य योजना की राशि	(10) राज्य योजना की राशि	(11) केन्द्रीय योजना की राशि	(12)

Signature and Name of Budget Controlling Officer  
Office Address  
Fax No.  
Mob. & Phone No.

प्रपत्र-XI

पूजीगत सम्पत्ति निर्माण हेतु प्रदत्त सहायता अनुदान की जानकारी

(वास्तविक राशि में)

संस्था / निकाय / निगम / बोर्ड / अन्य का नाम जिसे सम्पत्ति निर्माण हेतु विभाग द्वारा सहायता अनुदान दिया गया है	वर्ष 2013-14 में पूजीगत संपत्ति निर्माण हेतु प्रदत्त सहायता अनुदान से संबंधित व्यय		अनुदान का स्रोत	
	लेखाशीर्ष (मुख्यशीर्ष से विस्तृत शीर्ष तक)	वर्ष में व्यय राशि	राज्य शासन से प्राप्त अनुदान राशि	केन्द्र शासन से प्राप्त अनुदान राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. पंचायती राज संस्थायें				
(i) जिला पंचायत				
(ii) जनपद पंचायत				
(iii) ग्राम पंचायत				
2. शहरी स्थानीय निकाय				
(i) नगर निगम				
(ii) नगर पालिकाएं				
(iii) नगर पंचायत				
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम				
(i) शासकीय कम्पनियों				
(ii) सांविधिक निगम				
4. स्वशासी निकायें				
(i) विश्वविद्यालय				
(ii) विकास प्राधिकारण				
(iii) सहकारी संस्थाएं				
(iv) अन्य				
5. अशासकीय संस्थाएं योग				

बजट नियंत्रण अधिकारी का हस्ताक्षर एवं नाम  
कार्यालय का पता  
दूरभाष क्रमांक  
मोबाईल क्रमांक  
फैक्स न.

- टीप :- 1. बोर्ड, महाविद्यालय, मिशन इत्यादि को पूजीगत सम्पत्ति निर्माण हेतु दिये गये सहायता अनुदान सरल क्रमांक 4 (iv) के समक्ष दर्शाये।  
2. यदि पूजीगत सम्पत्ति निर्माण हेतु प्रदत्त राशि केन्द्र शासन से प्राप्त हुई है तो केन्द्र शासन से प्राप्त राशि की जानकारी स्तम्भ क्रमांक 5 में दर्शाये।

प्रपत्र-XII

नियमित कर्मचारियों की संख्या से संबंधित जानकारी  
(दिनांक 31.03.2014 की स्थिति में)

पदनाम	श्रेणी वर्ग-1, 2, 3, 4	स्वीकृत पद	स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत नियमित कर्मचारी / अधिकारियों की संख्या	स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत संविदा कर्मचारी / अधिकारियों की संख्या	कुल संख्या (4+5)
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
कुल-	-				

बजट नियंत्रण अधिकारी का हस्ताक्षर एवं नाम  
कार्यालय का पता  
दूरभाष क्रमांक  
मोबाईल क्रमांक  
फैक्स न.

- टीप :- 1) दिनांक 31.03.2014 की स्थिति में जानकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में जिस दिनांक की स्थिति की जानकारी उपलब्ध हो, वह दिनांक दर्शाते हुए जानकारी देवें।
- 2) केवल वेतन मद (01-वेतन भत्ते आदि) से आहरित कर्मचारियों/अधिकारियों की जानकारी सम्मिलित करें।



**प्रपत्र-V से X की जानकारी पूर्ण करने हेतु मार्गदर्शिका**

**प्रपत्र-V- आफ बजट दायित्वो (Details of off budget liabilities)-** इस category में राज्य शासन के ऐसे सव्यवहार को सम्मिलित किया जाना है जहाँ शासन द्वारा कारपोरेशन/कम्पनियों को किसी राशि का भुगतान किया जाना था किन्तु तत्समय विपरीत वित्तीय परिस्थितिवंश भुगतान नहीं किया गया है एवं इसके ऐवज में राज्य शासन द्वारा उन कारपोरेशन/निगमों को दीर्घ कालीन प्रतिकार एवं अन्य बंध पत्र (Bonds) जारी किया गया है एवं राज्य शासन द्वारा बंध पत्र की निर्धारित अवधि के पश्चात भुगतान किया जाता है। - उदाहरण- राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सप्लाइज कारपोरेशन एवं बिजली बोर्ड को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत subsidy प्रदान की जाती है। यदि राज्य शासन द्वारा नगद में Subsidy प्रदान न किया जा कर राज्य सिविल सप्लाइज कारपोरेशन एवं बिजली बोर्ड को दीर्घ कालीन प्रतिकार एवं अन्य बंध पत्र (Bonds) जारी किये जाते हैं तो ऐसे सव्यवहारों को off budget liabilities के रूप में दर्शाना जाना चाहिए।

केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न तेल कम्पनियों एवं उर्वरक कम्पनियों को देय सबसिडी के रूप में जारी किये गये बान्ड off budget liabilities के अन्तर्गत आता है।

**प्रपत्र-VI- Funds operated outside Government Accounts -** इस जानकारी में राज्य शासन के अन्तर्गत कार्यरत नियामक आयोग/अभिकरण/संस्थाएं द्वारा प्राप्त किये गये राजस्व (जैसे फीस, जुर्माना आदि) जो उनके गठन संबंधी अधिसूचना/अध्यादेश अनुसार राज्य सरकार के खाते में जमा कराये जाने थे किन्तु जमा नहीं कराये गये हैं ऐसी जानकारी सम्मिलित किया जाना है।

**प्रपत्र-VII- कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व की बकाया राशि (Arrears of tax and non tax revenue)-** इस जानकारी के अंतर्गत कर एवं राजस्व की बकाया राशि (विवादित एवं अविवादित) का विवरण सम्मिलित किया जाना है।

**प्रपत्र-VIII- 31 मार्च 2014 की स्थिति में भुगतान हेतु बकाया बिलों से संबंधित दायित्व (Liability on account of Unpaid bills)-** इस जानकारी के अंतर्गत राज्य शासन के विभागों द्वारा 31.03.2014 की स्थिति में निर्माण कार्य एवं प्रदाय सामग्री देयको का भुगतान नहीं किये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न दायित्व की जानकारी सम्मिलित की जानी है।

**प्रपत्र-IX- पंचायती राज संस्थाओं को देय बकाया अनुदान-** इस जानकारी के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत देय अनुदान की बकाया राशि सम्मिलित की जानी है। वर्ष के अन्त में यदि पर्याप्त बजट के अभाव में किसी चालू वर्ष में किये जाने वाले व्यय को आगामी वर्ष के बजट से भुगतान किया जाता है तो ऐसी बकाया राशियों को भी सम्मिलित किया जावे। उदाहरणार्थ प्रत्येक वर्ष में केन्द्र प्रवर्तित योजना में राज्य शासन का हिस्सा जिला पंचायतों को भुगतान किया जाता है। यदि राज्य शासन के हिस्सा का भुगतान पर्याप्त बजट के अभाव में उसी वित्तीय लेखा वर्ष में न किया जाकर आगामी वर्ष के बजट से भुगतान किया जाता है तो ऐसी राशियों को पंचायती राज संस्थाओं को देय बकाया अनुदान के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

उपरोक्त के अतिरिक्त शासन को प्राप्त खनिज रायल्टी एवं भूमि पंजीकरण राशि से पंचायतो को देय अनुदान की दिनांक 31.03.2014 तक की बकाया राशि भी शामिल होगी।

प्रपत्र-X- दिनांक 31.03.2014 की स्थिति में आहरण संवितरण अधिकारियों के पदनाम से खोले गये बैंक खातों में जमा राशि-इस प्रारूप की जानकारी में 31.3.2014 की स्थिति में विभाग से संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारियों एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा किसी राज्य आयोजना/केन्द्र प्रवर्तित योजना/केन्द्र क्षेत्रीय योजना इत्यादि के क्रियान्वयन हेतु कोषालय से धन आहरित कर अपने पदनाम से खोले गये खाते में जमा की गयी राशि की जानकारी सम्मिलित किया जाना है तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा कोषालय से धन आहरण पश्चात् संबंधितों को भुगतान किये जाने हेतु किसी सरकारी कर्मचारी/अधिकारी (प्रिंसिपल/हेडमास्टर इत्यादि) के खाते में राशि जमा कराई जाती है तो उन कर्मचारी/अधिकारी के पदनाम से खोले गये बैंक खातों में 31.3.2014 की स्थिति में जमा की राशि की जानकारी भी सम्मिलित किया जावे।

इस में राज्य की संचित निधि से आहरित धनराशि सम्मिलित किया जावे तथा किसी बोर्ड अथवा अन्य क्रियान्वयन एजन्सी से प्राप्त राशि को सम्मिलित नहीं किया जावे।

जानकारी विभागवार संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा अपने अधिनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारी/विभागीय अधिकारी से प्राप्त कर वांछित जानकारी सत्यापित कर समेकित जानकारी इस कार्यालय को भेजने की व्यवस्था करें। कृपया डी.डी.ओ. वार पृथक पृथक प्रारूप/जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित नही करे

**प्रपत्र क्रमांक-IV की जानकारी पूर्ण करने हेतु मार्गदर्शिका एवं  
नमूना प्रपत्र**

## **I Accounts Payable**

### **स्तम्भ क्रमांक-2**

स्तम्भ क्रमांक 2 में निम्नलिखित दायित्व दर्शायी जावे।

- (1) आयोजनेत्तर वेतन
- (2) ब्याज का भुगतान (6003-आंतरिक ऋण) (वित्त विभाग से संबंधित)
- (3) Accrued Debt (वित्त विभाग से संबंधित)
- (4) भुगतान हेतु बकाया बिल

### **स्तम्भ क्रमांक 3 (प्लान)**

इस स्तम्भ में जानकारी निरंक दर्शाये जावे।

### **स्तम्भ क्रमांक 4 (आयोजनेत्तर)**

- 1) आयोजनेत्तर वेतन :- वर्ष 2013-14 के वास्तविक आयोजनेत्तर वेतन व्यय तथा वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के अनुमानित आयोजनेत्तर वेतन व्यय की राशि वर्ष वार दर्शायी जावे।
- 2) ब्याज के भुगतान :- वर्ष 2013-14 में आन्तरिक ऋणों से संबंधित ऋणों पर भुगतान किये गये वास्तविक ब्याज की राशि तथा वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 पर किये जाने वाले ब्याज भुगतान की व्यय की राशि वर्ष वार दर्शाये जावे।
- 3) भुगतान हेतु बकाया बिलों की जानकारी :- इस मद हेतु दिनांक 31.03.2014 की स्थिति में आयोजनेत्तर मद से भुगतान हेतु बकाया बिलों की राशि दर्शाए।
- 4) **Accrued Debt :-** Accrued Debt से आशय ऐसे ऋणों से है जिसका पुनर्भुगतान किया जा रहा है किन्तु ऋण की राशि राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक 31 मार्च 2014 की स्थिति में मुख्यशीर्ष 6003 के अन्तर्गत यदि ऐसा कोई ऋण है तो स्तम्भ क्रमांक 4 में दर्शाए।

### **स्तम्भ क्रमांक 5, 6 एवं 7 :**

स्तम्भ क्रमांक 3 एवं 4 में वर्णित प्रतिबद्धित दायित्व की राशि का भुगतान के स्रोत की जानकारी स्तम्भ क्रमांक 5,6 एवं 7 में तदनुसार दर्शायी जावे।

### **स्तम्भ क्रमांक 8 :**

- 1) कालम नम्बर 4 में दर्शाए गए आयोजनेत्तर वेतन के दायित्व तथा ब्याज के भुगतान के दायित्व हेतु 2014-15 से 2016-17 दर्शावे, भुगतान हेतु बकाया बिलों के दायित्व हेतु 2014-15 दर्शावे, Accrued Debt के दायित्व हेतु ऋणों के पुनर्भुगतान का अंतिम वर्ष दर्शाया जावे।

### **स्तम्भ क्रमांक 9 :**

- 1) आयोजनेत्तर वेतन के दायित्व हेतु वर्ष 2013-14 में भुगतान किये गये आयोजनेत्तर वेतन व्यय की राशि दर्शायी जावे।
- 2) भुगतान हेतु बकाया बिलों के दायित्व हेतु निरंक दर्शायी जावे।
- 3) ब्याज के भुगतान के दायित्व हेतु वर्ष 2013-14 में भुगतान किये गये आंतरिक ऋण पर ब्याज की राशि दर्शायी वर्ष वार जावे।
- 4) Accrued Debt के दायित्व हेतु वर्ष 2013-14 में भुगतान किये गये पुनर्भुगतान की राशि वर्ष वार दर्शायी जावे।

स्तम्भ क्रमांक 10 :

- 1) आयोजनेत्तर वेतन के दायित्व हेतु कालम नम्बर 4 में दर्शायी गयी राशि से कालम नम्बर 9 में दर्शायी गयी राशि को घटाकर निवल राशि दर्शायी जावे।
- 2) भुगतान हेतु बकाया बिलो के दायित्व हेतु कालम नम्बर 4 में दर्शायी गयी राशि ही दर्शाये जावे।
- 3) ब्याज के भुगतान के दायित्व हेतु कालम नम्बर 4 में दर्शायी गयी राशि से कालम नम्बर 9 में दर्शायी गयी राशि को घटाकर निवल राशि वर्ष वार दर्शायी जावे।
- 4) Accrued Debt के दायित्व हेतु कालम नम्बर 4 में दर्शायी गयी राशि से कालम नम्बर 9 में दर्शायी गयी राशि को घटाकर निवल राशि दर्शायी जावे।

## II केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में राज्यांश की जानकारी

स्तम्भ क्रमांक 2 :

दिनांक 31.03.2014 की स्थिति में ऐसी केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं जिसमें राज्यांश विमुक्त किया जाना था किन्तु विमुक्त न किया गया हो ऐसे योजनाओं का नाम दर्शाया जावे।

स्तम्भ क्रमांक 3 :

स्तम्भ क्रमांक 2 में दर्शायी गयी योजनाओं में दिनांक 31.03.2014 को विमुक्ती हेतु बकाया राज्यांश की राशि दर्शावे।

स्तम्भ क्रमांक 4 :

स्तम्भ क्रमांक 4 में निरंक दर्शाये जावे।

स्तम्भ क्रमांक 5, 6 एवं 7 :

स्तम्भ नम्बर 3 में दर्शाये गये राज्यांश की राशि का भुगतान के स्रोत की जानकारी कालम नम्बर 5,6 एवं 7 में तदनुसार दर्शायी जावे।

स्तम्भ क्रमांक 8 :

स्तम्भ क्रमांक 3 में दर्शायी गयी राशि का भुगतान किस वर्ष में किया जावेगा उस वर्ष की जानकारी दर्शायी जावे।

स्तम्भ क्रमांक 9 :

स्तम्भ क्रमांक 9 में निरंक दर्शायी जावे।

स्तम्भ क्रमांक 10 :

स्तम्भ क्रमांक 10 में स्तम्भ क्रमांक 3 की राशि दर्शायी जावे।

## III आयोजना मद से आयोजनेत्तर मद में स्थानान्तरित योजना के उत्तरदायित्व

सामान्यतः पंचवर्षीय योजना काल के पूर्ण होने पर केन्द्र क्षेत्रीय योजना, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना, विशेष केन्द्रीय सहायता योजना इत्यादि को आयोजनेत्तर मद में स्थानान्तरण किये जाने के फलस्वरूप संबंधित योजनाओं के संचालन का दायित्वों राज्य शासन पर उत्पन्न होता है। यदि राज्य शासन द्वारा वर्ष 2013-14 में कोई योजना को आयोजना मद से आयोजनेत्तर मद में स्थानान्तरित किया गया है, तो उन योजनाओं की जानकारी इस वर्ग में उपलब्ध कराई जावे।

## 11 वी पंचवर्षीय योजना से उत्पन्न समर्पित आयोजनेत्तर व्यय

योजना आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में व्यय के वर्गीकरण से संबंधित निर्देशानुसार निम्नलिखित प्रकृति के व्ययों को प्रतिबद्ध आयोजनेत्तर व्यय (Committed Non Plan Expenditure) माना जाना चाहिए :-

- 1) समस्त विकास योजनाएं जो दिनांक 31.03.2014 तक पूर्ण हुए हैं उनके संचालन एवं अनुरक्षण व्यय को आयोजनेत्तर व्यय माना जाना चाहिए।
- 2) यदि कोई विकास योजना 11 वीं पंचवर्षीय योजना के काल में पूर्ण नहीं होती है एवं उस योजना को 12 वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखा जाता है एवं इस योजना से यदि कोई आस्तियों निर्मित किये जाते हैं अथवा कोई सेवाएं स्थापित किये जाते हैं तो उन आस्तियों एवं सेवाओं के परिचालन एवं अनुरक्षण पर किये जाने वाले व्यय को 12 वीं योजना काल में प्रतिबद्ध आयोजनेत्तर व्यय माना जाना चाहिए।
- 3) यदि कोई कार्यक्रम/योजना/गतिविधि चरणबद्ध रूप में क्रियान्वयन किया जाता है तो पूर्ण हुए चरण में कार्यरत मैदानी अमला (Field Staff) तथा मुख्यालय अमला के व्यय को समर्पित आयोजनेत्तर व्यय माना जाना चाहिए।
- 4) समस्त विद्यमान संस्थाएं एवं स्थापनाओं के अनुरक्षण संबंधी व्यय को समर्पित आयोजनेत्तर व्यय माना जाना चाहिए।
- 5) स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति इत्यादि क्षेत्र में ऐसी योजनाएं जो आवर्ति प्रकृति की हैं उन योजनाओं में दिनांक 31.03.2013 की स्थिति में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन व्यय को समर्पित आयोजनेत्तर व्यय माना जाना चाहिए। उपरोक्त प्रकृति के दायित्वो वर्ष 2013-14 में उत्पन्न होना संभावित है तदपि वर्ष 2013-14 में उपरोक्त प्रकृति के दायित्वो हेतु खोली गई आयोजनेत्तर योजनाएं एवं वर्ष 2013-14 में आयोजना मद से आयोजनेत्तर में स्थानांतरित योजना से उत्पन्न व्यय दायित्व का योजनावार जानकारी इस वर्ग के अन्तर्गत दर्शाए। संबंधित योजना का नाम स्तम्भ क्रमांक 2 में दर्शाए, स्तम्भ क्रमांक 3 में निरंक दर्शाए, कालम नम्बर 4 में इस योजना के वर्ष 2013-14 के वास्तविक व्यय तथा आगामी तीन वर्षों में (अर्थात् 2014-15, 2015-16, 2016-17) में किए जाने वाले अनुमानित व्यय को वर्षवार दर्शाए। कालम क्रमांक 5, 6 एवं 7 में संबंधित व्यय स्रोत की जानकारी देवे। कालम क्रमांक 8 में वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 दर्शावे। कालम क्रमांक 9 में 2013-14 का वास्तविक व्यय दर्शाए। कालम क्रमांक 10 में कालम 4 एवं कालम 9 के अंतर की राशि दर्शावे।

## IV अपूर्ण परियोजनाओं में उत्पन्न दायित्व की राशि :

स्तम्भ क्रमांक 2 :

दिनांक 31.03.2014 को अपूर्ण परियोजनाओं के नाम दर्शाया जावे।

स्तम्भ क्रमांक 3 एवं 4 :

स्तम्भ क्रमांक 2 में दर्शायी गयी परियोजनाओं पर परियोजनाओं की समाप्ति तक किये जाने वाले प्रतिबद्ध व्यय की राशि दर्शायी जावे।

स्तम्भ क्रमांक 5, 6 एवं 7 :

कालम नम्बर 3 एवं 4 में वर्णित अपूर्ण परियोजनाओं की राशि का भुगतान के स्रोत की जानकारी कालम नम्बर 5, 6 एवं 7 में तदनुसार दर्शायी जावे।

स्तम्भ क्रमांक 8 :

परियोजना के पूर्ण होने तक के संभावित व्यय किन वर्षों तक किया जावेगा दर्शाये।

स्तम्भ क्रमांक 9 :

स्तम्भ क्रमांक 9 में निरंक दर्शाये जावे।

स्तम्भ क्रमांक 10 :

स्तम्भ क्रमांक 10 में स्तम्भ क्रमांक 3 एवं 4 में दर्शायी गयी राशि दर्शायी जावे।

## मार्गदर्शिका

- 1) आयोजनेत्तर वेतन :- वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के अनुमानित आयोजनेत्तर वेतन व्यय की राशि वर्ष वार दर्शायी जावे।
- 2) स्तम्भ क्रमांक 4 में वर्णित आयोजनेत्तर वेतन व्यय (वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक) की राशि का भुगतान के स्रोत की जानकारी स्तम्भ क्रमांक 5,6 एवं 7 में तदनुसार दर्शायी जावे।

स्तम्भ क्रमांक 8 :

- 1) कालम नम्बर 4 में दर्शाए गए आयोजनेत्तर वेतन व्यय (वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक) हेतु 2014-15 से 2016-17 दर्शावे,

स्तम्भ क्रमांक 9 :

- 1) निरंक दर्शाये

स्तम्भ क्रमांक 10 :

स्तम्भ क्रमांक 3 में दर्शायी गई वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के आयोजनेत्तर वेतन व्यय की राशि वर्षवार दर्शावे।